



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 1995/ज्येष्ठ 4, 1917

No. 88]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1995/JYAISTHA 4, 1917

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 24 मई, 1995

भारत के राजपत्र—प्रकाशरण—भाग-1, खण्ड-I संख्या 186, नई दिल्ली, सोमवार, 13 सितम्बर, 1993/22 भाद्र, 1915 में प्रकाशित की गई थी।

संख्या 12011/7/95-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय स्थापन सं. 36012/22/93—स्थापना (एस्.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के पक्ष में सीटों भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों में 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है। इस कार्यालय स्थापन में यह भी विनिर्दिष्ट है कि प्रथम चरण में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान के द्वारा भरे जायेंगे समुदाय शामिल होंगे जो महान् आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों की अन्य पिछड़े वर्गों की दोहरी सूचियों में समाप्त हैं। /

2. चौदह राज्यों, अर्थात्, अण्ड्र प्रदेश, अजमेर, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियों को दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के उपर्युक्त कार्यालय स्थापन क्रियान्वयन के संदर्भ में कर्नाटक मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/93—बी.सी.सी. (सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के रूप में अधिसूचित की गई थी तथा

3. उसके बाद 4 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियां भी 8 सितम्बर, 1993 के उपरोक्त कार्यालय स्थापन के क्रियान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/9/94-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 के द्वारा अधिसूचित कर दी गई थी और भारत के राजपत्र—प्रकाशरण—भाग-I, खण्ड-1, संख्या 163, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 20 अक्टूबर, 1994/अश्विन 28, 1916 में प्रकाशित की गई थी।

4. भारत सरकार ने अब जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियां तैयार की हैं तथा कामिक और प्रशिक्षण विभाग के 8 सितम्बर, 1993 के उपर्युक्त कार्यालय स्थापन के क्रियान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए इन तीन राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित सूचियों में दी गई समान सूचियों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। ये सूचियां इन संकल्प के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

भ्रादेश

भ्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी भ्रादेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए इस भ्रादेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

भगवती प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

निम्नलिखित तीन राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) की केन्द्रीय सूची:

1. जम्मू और कश्मीर
2. मणिपुर
3. सिक्किम
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

राज्य : जम्मू और कश्मीर : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं. अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित) में प्रविष्टि सं.

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बहाच हंजी तथा शिकारा वाला (हाऊस बोट मालिकों को छोड़कर)	1	29
2.	बंगी, भंगी, खाकरोब } (स्वीपर) (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	7	6
3.	बारबर (केवल ग्रामीण)	8	28
4.	भांड	10	3
5.	दम्बाली फकीर	14	13
6.	डूम (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	15	16
7.	मछुआरे, गडा हंज सहित	2	20
8.	घाती (केवल ग्रामीण)	20	25
9.	झोवर	19	31
10.	कुलफकीर	13	37
11.	कुम्हार, कुम्हार } (ग्रामीण मिट्टी के बर्तन बनाने वाले)	4	38
12.	मदारी,	12	41
	बाजीगर	12	2
13.	मिरासी	11	45
14.	सांसी	17	45
15.	शकसाज जूता	5	55
16.	जूता मरम्मत करने वाले (बगीर मशीनी सहायता के कार्यरत)	6	46
17.	शुपरी बत्तल (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	16	57
18.	सिकलीगर	18	58
19.	सीली } (केवल ग्रामीण) तेली }	21	62
20.	ग्रामीण कपड़े धोने वाले	9	15

राज्य : मणिपुर : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं. अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित) में प्रविष्टि सं.

1	2	3	4
1.	बादी (नेपाली), दमाई (नेपाली), गैने (नेपाली), कामी (नेपाली), तथा सरकी (नेपाली) } (जो मणिपुर में निवासी समुदाय के सदस्यों के रूप में 9 जुलाई, 1947 से रह रहे हैं तथा उनके वंशज)	4 4 4 4 4	2 7 10 17 41
2.	मैतेई/मीतेई (मैतेई ब्राह्मण, मैतेई/मीतेई सनाभाही तथा मैतेई राजकुमार सहित)	1	30
3.	मैतेई पंगाल	2	30
4.	तेली (जो मणिपुर में दस वर्षों से रह रहे हैं तथा उनके वंशज)	3	47

राज्य : सिक्किम : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं. अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित) में प्रविष्टि सं.

1	2	3	4
1.	भुजेल	i	1
2.	गुरुंग	ii	2
3.	लिम्बू (सोम, सुब्बा, तथा यकथुंगबा सहित)	iii iii	3 9,6,10
4.	भंगेर	v	4
5.	राई	iv	5
6.	सुनुवार (कोईचा/मुखिया सहित)	vi	7
7.	तमांग	vii	8

संघ राज्य क्षेत्र : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं. अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित)

1	2	3	4
1.	अन्वासी, मिश्री, सबका	1 1 1	1 1 1

1	2	3	4	1	2	3	4
2.	अगरी, खरवाल	2	2	21.	फकीर	21	30
3.	अहीर, यादव, ग्वाला	3	3	22.	गडरिया, गधेरी, गव्दी, गरीं	22	32 34 33 33
4.	अरैन, राई, कुन्जड़ा	4	4	23.	घसियारा, घोसी	23	35 36
5.	बड़ई, धरही, खाती, तरखान, जांगड़ा-ब्राह्मण, विश्वकर्मा	5	5	24.	गूजर, गुंजर	24	37 37
6.	बादी	6	6	25.	जोगी, गोस्वामी	25	42 42
7.	बैरागी	7	7	26.	जुलाहा (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	26	43
8.	बैरवा, बेरवा,	8	8	27.	काछी, कोइरा, मुर्ई, मुराब	27	44 44 44 44
9.	बारई, बारी, तम्बोली	9	10	28.	कसाई, कस्ताव, कुरंशी	28	49 49 49
10.	बीरिया/बावरिया (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	10	12	29.	कसेरा, तगेरा, डडियार	29	50 50 50
11.	बाजीगर, } मट, } (अनुसूचित जाति कलंदर } वालों को छोड़कर)	11	13	30.	खटगुने		
12.	भड़भुजा	12	16	31.	खटक (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)		
13.	भाट	13	17	32.	कुम्हार, प्रजापति	32	55 55
14.	भटियारा	14	18	33.	कुर्नी	33	56
15.	चाक	15	19	34.	लखेरा, मनिहार	34	58 58
16.	चिप्पी, टोंक, दर्जी	16	21	35.	लोधी, लोधा, लोघ, महा-लोघ	35	59 59 59 59
17.	डकोत, परादे	17	25	36.	लुहार, भूभलिया	36	60 14
18.	धींवर, झींवर, निषाद केवट/मल्लाह (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर), कहार, कश्यप (गैर-ब्राह्मण)	18	27	37.	माची, मछेरा	37	61 61
19.	घोबी (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	19	28	38.	माली, सैनी, सौथिया, सागरवंशी-माली, नायक	38	63 63 63 63 63
20.	घुनिया, पिजारा, कंडरा-करन, घुननेवाला	20	29	39.	मेमार, राज	39	65 65
				40.	मीना/मीणा	40	66
				41.	मेरासी, मिरासी	41	68 68
				42.	मोची (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	42	69

STATE : MANIPUR COMMON LIST OF OBCs

Sl. No.	Names of castes/Communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in the State list of OBCs	Entry No. in Mandal list
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badi (Nepali), Damai (Nepali), Gainay (Nepali), Kami (Nepali), and Sarki (Nepali). } (who have been living in Manipur as members of the domiciled community since the 9th July, 1947, and their descendants).	4 4 4 4 4	2 10 17 41
2.	Meitei /Meetei (including Meitei Brahmin, Meitei/Meetei Sanama hi, and Rajkumar).		30
3.	Meitei Pangal.	2	30
4.	Teli (who have been domiciled in Manipur for 10 years, and their descendents).	3	47

STATE : SIKKIM : COMMON LIST OF OBCs

Sl. No.	Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in State list	Entry No. in Mandal list
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhujel	i	1
2.	Gurung	ii	2
3.	Limboo (including Tsong, Subba, and Yakthungba)	iii iii iii	3 9 6 10
4.	Mangor	v	4
5.	Rai	iv	5
6.	Sunuwar (including Koincha/Mukhia)	vi	7
7.	Tamang.	vii	8

UT : N.C.T. OF DELHI : COMMON LIST OF OBCs.

Sl. No.	Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in the UT list	Entry No. in Mandal list
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Abbasi, Bhishti, Sakka	1 1 1	1 1 1
2.	Agri, Kharwal	2 2	2 2
3.	Ahir, Yadav, Gwala	3 3 3	3 3 3

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Arain, Rayee, Kunjra	4 4 4	4 4 4
5.	Badhai, Barhai, Khati, Tarkhan, Jangra-Brahmin, Vishwakarma	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5
6.	Badi	6	6
7.	Bairagi	7	7
8.	Bairwa, Berwa	8 8	8 8
9.	Barai, Bari, Tamboli	9 9	10 11 10
10.	Bauria/Bawria (excluding those in Sch. Caste).	10	12
11.	Bazigar, Nat, Kalandar	11 11 13	13 13 13
12.	Bharbhooja	12	16
13.	Bhat	13	17
14.	Bhatiara	14	18
15.	Chak	15	19
16.	Chippi, Tonk, Darzi	16 16 16	21 21 26
17.	Dakaut, Prade	17 17	25 25
18.	Dhinwar, Jhinwar, Nishad, Kewat/Mallah (excluding those in Sch. Caste), Kahar, Kashyap (non-Brahmin)	18 18 18 18 18	27 27 27 52 45 45
19.	Dhobi (excluding those in Sch. Caste)	19	28
20.	Dhuni, Pinjar, Kandra-Karan, Dhunnewala	20 20 20 20	29 29 29 29
21.	Fakir	21	30
22.	Gadaria, Gadheri, Gaddi, Garri	22 22 22 22	32 34 33 33
23.	Ghasiara, Ghosi	23 23	35 36
24.	Gujar, Gurjar	24 24	37 37
25.	Jogi, Goswami	25 25	42 42
26.	Juaha (excluding those in Sch. Caste).	26	43
27.	Kachhi, Koeri, Murai, Muraio	27 27 27 27	44 44 44 44

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)
28.	Kasai,	28	49	38.	Mali,	38
	Qassab,	28	49		Saini,	38
	Quraishi	28			Southia,	38
29.	Kasera,	29	50		Sagarwanshi-Mali,	38
	Tamera,	29	50		Nayak	38
	Thathiar	29	50	39.	Memar,	39
39.	Khatgune	30	53		Raj	39
31.	Khatik (excluding those in Sch. Caste).	31	54	40.	Mina/Meena	40
32.	Kumhar,	32	55	41.	Merasi,	41
	Prajapati	32	55		Mirasi	41
33.	Kurmi	33	56	42.	Mochi (excluding those in Sch. Caste),	42
34.	Lakhera,	34	58	43.	Nai,	43
	Manihar	34	58		Hajjam,	43
35.	Lodhi,	35	59		Nai (Sabita)	43
	Lodha,	35	59	44.	Nalband	44
	Lodh,	35	59	45.	Naqqal	45
	Maha-Lodh	35	59	46.	Pakhiwara	46
36.	Luhar,	36	60	47.	Patwa	47
	Bhubhalia	36	14	48.	Pathar Chera,	48
37.	Machi,	37	61		Sangtarash	48
	Machhera	37	61	49.	Rangrez	49
				50.	Sunar	51
				51.	Teli	52